मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 जून 2009—ज्येष्ठ 21, शक 1931

## नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2009

एफ. क्र. 1473-1-25-2008-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 48-ख तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनिमय, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 72-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियां तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2009 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिक निगम की दशा में निगम तथा किसी नगरपालिका या नगर पंचायत की दशा में परिषद्, जैसी भी स्थिति हो;

(ग) ''मोहल्ला'' से अभिप्रेत है,—

(एक) किसी स्थानीय निकाय का कोई भाग या संविभाग (सबसेट) या किसी कालोनी या अपार्टमेंट, (फ्लेट), प्रकोष्ठ (काम्पलेक्स) जिसमें कम से कम 100 सदस्य निवासरत हों, या जैसा कि स्थानीय निकाय विनिश्चित करे.

(दो) ''मोहल्ला समिति '' से अभिप्रेत है, उक्त नियमों के नियम 3 के अधीन गठित मोहल्ला समिति.

(घ) ''नगरपालिक क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन तथा नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र;

(ङ) ''नगरपालिका'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम तथा मध्यप्रदेश नगरापालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत;

(च) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(छ) ''प्रादेशिक क्षेत्र'' से अभिप्रेत है किसी मोहल्ला समिति का प्रादेशित क्षेत्र.

3. **मोहल्ला समिति का गठन.**—मोहल्ले में निवासरत व्यक्ति, मोहल्ला समिति को मान्यता प्रदान करने तथा स्थानीय निकाय की ओर से शक्तियों का प्रयोग करने तथा जिम्मेदारियों को वहन करने हेतु स्थानीय निकाय से अनुरोध कर सकते हैं. स्थानीय निकाय सामूहिक अस्तित्व के रूप में आवेदकों को मान्यता प्रदान करने के लिए अग्रसर होगा. इसके बाद समिति के रूप में मान्यता दी जाएगी. तथापि, स्थानीय निकाय द्वारा मोहल्ला समिति के रूप में मोहल्ले में निवासरत नागरिकों या अपार्टमेंट स्वामियों को मोहल्ला समिति के रूप में केवल ऐसे समूहों को मान्यता दी जाएगी जो मोहल्ले में निवासरत हों, (अर्थात् किसी कालोनी में या अपार्टमेंट या काम्पलेक्स में निवासरत व्यक्ति) वे ऐसी संस्था के रूप में जुड़े हों और ऐसी संस्था में कम से कम सौ परिवार सम्मिलित हों (जो स्थानीय निकाय को मोहल्ला समिति को मान्यता के प्रयोजन हेतु स्वीकार योग्य हो).

4. **मोहल्ला समिति की संरचना.**—(1) प्रत्येक मोहल्ला समिति में कम से कम निम्नलिखित होंगे :—

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) कोषाध्यक्ष

(2) उस वार्ड का निर्वाचित पार्षद् जहां ऐसी मोहल्ला समिति गठित की गई है, ऐसी मोहल्ला समिति का सदस्य तथा संरक्षक भी होगा.

(3) मोहल्ला समिति के पूर्वोक्त पदाधिकारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनका निर्वाचन चयन द्वारा किया जाए. मोहल्ला समिति के पदाधिकारियों की पदावधि अधिकतम 5 वर्ष होगी तथा उसके लिए परिषद् (काउन्सिल) की पदावधि की सह-विस्तारी होना आवश्यक नहीं होगा.

5. **मोहल्ला समिति के कृत्य तथा उनकी भूमिका.**—मोहल्ला समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) उस मोहल्ले के कार्यों के लिये नगरपालिका के प्रति जागरूक रहना;

(ख) किसी मोहल्ले तथा उसके रहवासियों के हितों के बारे में स्थानीय निकाय को सलाह देना तथा युक्तियुक्त नीति और कार्यक्रम तैयार करने में मदद करना जिससे उस मोहल्ले में निवास करने वाले रहवासियों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी;

(ग) सामान्य क्षेत्र की प्रसुविधाओं इत्यादि का पर्यवेक्षण, उनका अनुरक्षण और मरम्मत तथा उनका बदला जाना;

(घ) स्वच्छता, सड़क, नाली, जल-प्रदाय, स्ट्रीट लाइट तथा ठोस अपशिष्ट इत्यादि से संबंधित कार्यों को मानीटर करना;

(ङ) पर्यावरण की रक्षा तथा प्रदूषण के विरुद्ध जन-जागृति उत्पन्न करना;

(च) राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास, निराश्रितों को पेंशन, उपनगरीय गरीबी प्रशमन कार्यक्रम, विकलांगों से संबंधित कार्यक्रम तथा टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग के संचालन को सफल बनाना;

(छ) वृक्षारोपण, भू-संरक्षण तथा बगीचे इत्यादि के विकास में जन-भागीदारी को प्रोत्साहन देना तथा उनका आयोजन करना;

(ज) नगरीय निकाय की सम्पत्ति तथा पार्क, खुली भूमि तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की संरक्षा/सुरक्षा की देखभाल करना तथा होने वाले अधिक्रमण से उन्हें बचाना तथा दी गई भवन अनुज्ञा के उल्लंघन या अधिक्रमण में बनाए गए भवन आदि के बारे में स्थानीय निकाय को सूचित/सचेत करना;

(झ) शिक्षा के विस्तार में सुधार करना, विशेष रूप से प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए और उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, पुनः प्रवेश देने के कार्यक्रमों में सहयोग करना;

(ञ) नगर निगम/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के समस्त विकास कार्यक्रमों को सुकर बनाना;

(ट) ऐसे किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करना, जिन्हें कि मोहल्ला समिति तथा स्थानीय निकाय के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौते के ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अधीन नगर निगम न्यस्त किये जाने हेतु समहत हो;

(ठ) विधि विरुद्ध क्रियाकलापों, जैसे—बाल-श्रम, मदिरा, जुआ आदि को रोकने के लिए मुहिम चलाना;

(ड) पहुंच (सेवा) नालियों का अनुरक्षण तथा संधारण, दैनिक आश्यकताओं तथा सेवाओं की उपलब्धता तथा उनका उपबंध करना जैसे कि चौकीदार की व्यवस्था रात्रिकालीन सुरक्षा, गेट, आंतरिक पार्किंग, लॉड्री, कपड़ों पर प्रेस, ताजी सब्जियां इत्यादि, जिससे कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हो सके;

(ढ) ऐसे अन्य कृत्य जो कि सरकार द्वारा, समय-समय पर समुदेशित किए जाएं.

6. **मोहल्ला समिति की आय के स्त्रोत.**—मोहल्ला समिति की आय के स्त्रोत निम्नलिखित होंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिका से निधि प्राप्त की जा सकेगी;

(ख) मोहल्ले के विकास के लिए, मोहल्ले के निवासियों से प्राप्त अंशदान या लोक सभा सदस्य/विधान सभा सदस्य निधि से मोहल्ले के विकास हेतु निधि;

(ग) स्थानीय निकाय तथा मोहल्ला समिति के बीच निधियों की भागीदारी (बटवारा), पारस्परिक सहमत करारों की शर्तों के अनुसार स्थानीय निकाय हेतु या उसकी ओर से संपादित कार्यो जैसे करों के संग्रहण, स्थल (स्पाट) जुर्माना आदि;

(घ) घटनाओं, पत्रिकाओं तथा मोहल्ला समिति द्वारा उसके सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई अन्य रहवासी सेवाओं की प्राप्तियां;

(ङ) स्थानीय निकाय की ओर से किए गए निक्षेप संकर्मों से प्राप्त हुए पर्यवेक्षण प्रभार;

(च) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/स्थानीय निकाय/निजी सत्ताओं द्वारा किसी अध्ययन, अनुसंधान समनुदेशन इत्यादि हेतु भुगतान की गई परामर्श फीस.

7. **राशियों की प्राप्तियां तथा निकासी.**—(1) प्रत्येक मोहल्ला समिति किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में एक बैंक खाता रखेगी.

(2) मोहल्ला समिति को प्राप्त समस्त राशियां नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन खोले गए बैंक खाते में तत्काल जमा की जाएंगी.

(3) मोहल्ला समिति की प्रबंध समिति के अनुमोदन के पश्चात् निधियां कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव में से दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाली जा सकेंगी, जैसी कि मोहल्ला समिति के संकल्प द्वारा विनिश्चित किया जाए.

8. **मोहल्ला समिति द्वारा हाथ में लिए जा सकने वाले कार्य.**—मोहल्ला समिति, स्थानीय निकाय की ओर से उसके लिए (स्थानीय निकाय) किसी एजेंसी के रूप में किसी भी सिविल या अन्य कार्यों को हाथ में लेने हेतु सक्षम होगी. यह स्थानीय निकाय की संपत्तियों तथा सामान्य सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिए प्रस्तावों को अनुशंसित तथा आमंत्रित करने के लिए समर्थ होगी, तथापि समस्त प्रस्ताव स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए होंगे.

9. **संसाधनों तथा आस्तियों/कर्मचारिवृंदों का मोहल्ला समिति को न्यागमन.**—मोहल्ला समिति, स्थानीय निकाय के ऐसे कर्मचारिवृंद के लिए आवेदन करने, उन्हें स्वीकार करने तथा उन पर प्रशासन करने की हकदार होगी जो उस मोहल्ला समिति के प्रभावशाली कार्यकरण हेतु मोहल्ले में अभिनियोजित करने हेतु सहमत हों. ऐसे कर्मचारिवृंद के प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद या परिचालन/तकनीकी कर्मचारिवृंद जैसे—इंजीनियर, प्रवर्तन, स्वास्थ्य, राजस्व इत्यादि सम्मिलित हों. ऐसे मामलों में कर्मचारिवृंद को वेतन भुगतान किया जाएगा जो स्थानीय निकाय की पुस्तकों में पूर्व से ही दर्ज है, मोहल्ला समिति द्वारा उन्हें वेतन भुगतान किया जाएगा तथा ऐसे कर्मचारिवृंद को स्थानीय निकाय से मोहल्ला समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा. तथापि, मोहल्ला समिति इस बात की हकदार होगी कि वह ऐसे कर्मचारिवृंद की उपलब्धियां तथा परिलब्धियों में वृद्धि कर सके ऐसे कर्मचारिवृंद जो स्थानीय निकाय से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं ताकि उनकी स्थानीय स्तर पर कार्यक्षमता को उच्चतर स्तर की गुणवत्ता हेतु उन्हें और प्रोत्साहन मिल सके. ऐसी वृद्धि का भुगतान मोहल्ला समिति तथा उसके सदस्यों द्वारा अंशदान निधियों में से पूरी तरह किया जाएगा तथा वृद्धि का न्यागमन स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य/केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली निधियों से नहीं किया जाएगा ऐसे कर्मचारिवृंद जो मोहल्ला समिति को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं उनका धारणाधिकार स्थानीय निकाय में बना रहेगा तथा वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वैसे ही दायी होंगे जैसे कि वे स्थानीय निकाय में कार्यरत थे. ऐसे मामलों में स्थानीय निकाय अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा तथा ऐसी कार्रवाई मोहल्ला समिति की प्रबंध समिति की अनुशंसाओं पर संस्थित की जाएगी जिस पर मोहल्ला समिति के अध्यक्ष तथा सचिव का अनुमोदन सम्मिलित होना आवश्यक होगा.

10. **मोहल्ला समिति के कारबार संचालन हेतु प्रक्रिया.**—(1) प्रत्येक मोहल्ला समिति का एक-एक सचिव होगा.

(2) मोहल्ला समिति की बैठक की तारीख तथा समय इसके अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी तथा ऐसी बैठक पन्द्रह दिनों में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से होगी. बैठक बुलाए जाने की सूचना बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व मोहल्ला समिति के सचिव द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी.

(3) मोहल्ला समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, यदि उपस्थित हो तो उसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी. यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष द्वारा और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो मोहल्ला समिति के सदस्य, अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए चुनेंगे. बैठक में विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत का अधिकार होगा.

(4) मोहल्ला समिति की प्रत्येक बैठक में सचिव आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा.

(5) बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के आधे से होगी.

(6) प्रत्येक मोहल्ला समिति की अपनी एक कार्यवृत्त पुस्तक (मिनट बुक) होगी जिसमें प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम, बैठक में विचार-विमर्श किये गए मामलों के ब्यौरे, प्रत्येक मामले में किया गया विनिश्चय, उन सदस्यों के नाम जिन्होंने विनिश्चय के पक्ष में मत दिया हो और उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने विनिश्चय के विरुद्ध मत दिया हो, आदि लेखबद्ध किए जाएंगे.

(7) प्रत्येक बैठक में कार्यवाहियों के कार्यवृत्त मोहल्ला समिति के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे.

11. **कठिनाइयों को दूर करना.**—राज्य सरकार को किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी जिससे नगरपालिक तथा मोहल्ला समिति के बीच प्रभावी तथा युक्तियुक्त सहयोग को सुनिश्चित किया जा सके.

12. **स्थानीय निकाय तथा मोहल्ला समिति के बीच समझौता ज्ञापन.**—नगर मोहल्ला समिति तथा स्थानीय निकाय के बीच उनकी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों तथा बाध्यता को परिभाषित करते हुए एक समझौता ज्ञापन प्रारंभिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा. इसमें स्थानीय निकाय तथा मोहल्ला समिति के बीच अपनी-अपनी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का विवरण अंतर्विष्ट किया जाएगा. इसका सम्यक् रूप से दोनों पक्षों द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण, प्रभावी संवाद तथा समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा. इसके किए स्थानीय निकाय हमेशा प्रोत्साहन देने वाला रवैया अपनाएगा.

13. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, मध्यप्रदेश नगरपालिका मोहल्ला कमेटी (गठन, कृत्य, शक्तियां तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2001 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

F. No. 1-25-08-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 48-B read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 72-B read with Sections 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title.**—(1) These rules shall be called the Madhya Pradesh Nagar Palika Mohalla Committee (Constitution, Functions, Powers and Procedures for Conduct of Business) Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(b) "Council" means Corporation in case of a Municipal Corporation and Council in case of a Municipality or Nagar Panchayat, as the case may be;

(c) "Mohalla" means,—

(i) any portion or Subset of a Local Body or any Colony or, Apartment, Complex comprising of minimum 100 members residing there or as the Local Body may decide;

(ii) "Mohalla Committee" means the Mohalla Committee constituted under Rule 3 of said rules;

(d) "Municipal Area" means the area notified under Section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956, in case of a Municipal Corporation and under Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, in case of a Municipal Council or Nagar Panchayat;

(e) "Nagar Palika" means any Municipal Corporation constituted under Section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and any Municipal Council or Nagar Panchayat constituted under Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(f) "Section" means a section of the Act;

(g) "Territorial Area" means the territorial area of any Mohalla Committee.

3. **Constitution of Mohalla Committee.**—The people residing in a Mohalla may contact the Local Body for seeking recognition of Mohalla Committee to exercise the powers therein and to fulfill the responsibilities on behalf of that

Local Body. The Local Body may then proceed to recognize the applicants as a collective entity and designate then as a Mohalla Committee. The Local Body shall, however recognize as Mohalla Committee such groups of citizens or apartment owners only residing in a Mohalla (i.e. persons residing in a colony or apartment or complex) when they are joined as an association and such association comprises at least one hundred households (which may be acceptable to the local body for the purpose of recognition as a Mohalla Committee).

4. **Structure of the Mohalla Committee.**—(1) Each Mohalla Committee shall consist of at least,—

(a) President

(b) Vice-President

(c) Treasurer

(2) The elected Councillor of the ward where a Mohalla Committee is constituted shall also be member and patron of such Mohalla Committee.

(3) It will be mandatory for the aforesaid office bearers of the Mohalla Committee to be chosen by election. The term of the office bearers of the Mohalla Committee shall be maximum of 5 years and will not necessarily be co-terminus with the term of the Council.

5. **Functions and Role of the Mohalla Committee.**—The Mohalla Committee shall have a following functions,—

(a) Be the Eyes and Ears for the Nagar Palika about the affair of that Mohalla;

(b) Advise the Local Body about the interest of the Mohalla and its residents and help formulation of suitable policy measures and programs which will enhance the quality of life of the residents living in that Mohalla;

(c) Supervise the maintenance and repair and replacement of common area facilitate etc.;

(d) Monitor works relating to sanitation, road, drain, water supply, street-light and solid waste etc;

(e) Create public awareness and to safeguard against environment pollution;

(f) Facilitate successful conduct of National Programmes such as amongst others, health Development o f Women and Child, Pension to destitutes, Urban Poverty Alleviation Programme, Programme relating to handicapped and to co-operate in Vaccination Programmes.

(g) Encourage and organize public participation in tree plantation, improvement of landscaping and gradens etc;

(h) Keep a watch for the safety/security of the property of the urban body, such as parks, open lands and other public places and to save them from encroachment; and to inform/alert the local body about violations such as encroachments or deviations from given building permissions;

(i) Improve the spread of education especially the admission of students in the Primary and Middle Schools and to co-operate in the programmes to admit again the students who have left;

(J) Facilitate all Development programmes of Municipal Corporation/State Government/ Central Government;

(k) Discharge any functions that may be agreed to be entrusted by the Municipal Corporation under the Memorandum of Understanding (MOU) to be signed between the Mohalla Committee and the Local Body;

(l) Campaign to stop the activities against law such as child labour, liquor, gambling etc.

(m) Oversee the protection and maintenance of service lanes, availability and provision of Daily Needs and Services such as Chaukidar arrangements, Night Security, Gates, Internal Parking, Laundry, Ironing, Fresh Vegetables etc. so as to enhance the living quality for the citizens;

(n) Such other functions as may be assigned by the Government from time to time.

6. **Source of Income of the Mohalla Committee.**—The Source of Income of the Mohalla Committee shall be as bollows :—

(a) Funds can be received from the Central Government, State Government or Municipality;

(b) Contribution received from the residents of Mohalla or Member of Paliament / Member of Legislative Assembly Funds for the development of Mohalla.

(c) Sharing of funds between the Local Body and the Mohalla Committee, as per mutually agreed terms, based on tasks performed for and on behalf of Local Body such as collection of taxes, spot fines etc;

(d) Receipts from events, magazines and other resident services provided by the Mohalla Committee to its members;

(e) Supervision charges from deposit work done on behalf of Local Body;

(f) Consultancy fees paid by the State Governemt/Central Government/Local Body/Private entities for any studies, research, assignments etc.

7. **Receipt and withdrawals of Sums.**—(1) Each Mohalla Committee shall have a Bank Account in any branch of a Nationalized Bank.

(2) All sums received to the Mohalla Committee shall immediately be deposited in the Bank Account opened under sub-rule (1) of rule 7.

(3) After the approval of the Managing Committee of the Mohalla Committee, funds may be drawn with the joint Signatures of any two office bearers from amongst, Treasurer, President, Vice-President or Secretary as may be decided by resolution of the Mohalla Committee.

8. **Works that can be undertaken by Mohalla Committee.**—Mohalla Committee would be entitled to undertake any kind of civil or other works on behalf of the Local Body as an agency working for the Local Body. It will also be able to recommend and initiate proposals for improvement of properties and common facilities belonging to the Local Body. However, all proposals will be subject to their acceptance by the Local Body.

9. **Devolution of Resources and Assets/Staff to Mohalla Committee.**—The Mohalla Committee shall be entitled to apply for, to accept, and to administer such staff of the Local Body that the Local Body is agreeable to deploy in the Mohalla for the effective functioning of the Mohalla Committee. Such staff may comprise of Managerial staff or operational/technical staff such as engineer, enforcement, health, revenue etc. In such cases, the salaries to be paid to such staff which are already entered in the register of the Local Body shall them be paid by the Mohalla, the Samiti and the staff will be deemed to be on deputation from the Local Body to the Mohalla Committee. However, the Mohalla Committee shall be entitled to further increase the emoluments and perquisites of such staff so as to further incentivise them for a higher quality of efficiency at the local level. Such increase shall be made entirely from funds contributed by the Mohalla Committee and its members and will not be from deveolutions made by the Local Body or the State/ Central Government. That staff which is sent on deputation to the Mohalla Committee shall continue to retain its lien on the Local Body and therefore will be liable to disciplinary action as would apply if they were working in the Local Body. The disciplinary authority shall be the Local Body and such action shall be initiated on the recommendations of the Managing Committee of the Mohalla Committee which will necessarily include the approval of the President and the Secretary of the Mohalla Committee.

10. **Procedure for the conduct of business of the Mohalla Committee.**—(1) Each Mohalla Committee shall have a Secretary.

(2) The date and time of the meeting of Mohalla Committee shall be fixed by its President and in his absence by its Vice-President and such meeting shall necessarily be held at least once in fifteen days. the notice of convening the meeting shall necessarily be given at least three days before the date of meeting by the Secretary of the Mohalla Committee.

(3) Every meeting of the Mohalla Committee shall be presided over by its President, if present. If the President is absent then by the Vice-President, and if the Vice-President is also absent then the members of the Mohalla Committee shall choose one person amongst themselves to preside over the meeting. In the meeting the decision shall be taken by majority of the votes and in case of the equality of votes the person presiding over the meeting shall have the right of casting vote.'

(4) In each meeting of the Mohalla Committee, Secretary shall necessarily be present.

(5) The quorum for the meeting shall be one half of the total number of members.

(6) Each Mohalla Committee shall have its own minutes Book in which the names of the members present in each meeting, the details of the cases discussed in the meeting, the decision taken, in each case, the names of the members who voted in favour of the decision and the names of members who voted against the decision, etc. shall be recorded.

(7) Minutes of the proceedings at each meeting shall be signed by the President and Secretary of the Mohalla Committee.

11. **Removal of Difficulties.**—The State Government shall have power to remove any difficulty so as to ensure effective and appropriate co-ordination between the Municipal and Mohalla Committees.

12. **Memorandum of Understanding between Local Body and Mohalla Committee.**—A Memorandum of Understanding will initially be signed between the Mohalla Committee and the Local Body defining their respective responsibilities and obligations. This will contain details of the respective roles and resonsibilities that would be shared between the Local Body and the Mohalla Committee. This will be duly honoured. It will be reviewed by both entities, from time-to-time, to ensure effective dialogue and co-ordination. The Local Body will always have an encouraging attitude towards the Mohalla Committee.

13. **Repeal and Saving.**—The Madhya Pradesh Nagarpalika Mohalla Committee (Constitution, Functions, Powers and procedure for conduct of Business) Rules, 2001 are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or action taken under the corresponding provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राघव चन्द्रा, प्रमुख सचिव.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.